

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
22.03.2025	<p>वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.10.2024 अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर उभय पक्षों के सुनवाई के उपरांत आदेश हेतु नियत है।</p> <p align="center"><u>आदेश (ORDER)</u></p> <p>वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.10.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण अपनी विषयगत बंटवारा तलब एराजी मद सं0-02 वाली भूमि पर अपना हिस्सा घोषित करते हुए सर्वेज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त से अपना तख्ता कायम करा देने हेतु लाया है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण जानबुझकर वाद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा स्थानीय प्रशासन को अपने मेल में लेकर युद्ध स्तर पर वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वादीगण के द्वारा इस संबंध में एक नव-निर्मित मकान का फोटोग्राफ दाखिल किया गया था, साथ ही साथ एक पेनड्राईव भी दाखिल किया गया था। तदुपरांत, न्यायालय द्वारा वादी के निषेधाज्ञा आवेदन को सुना गया तथा यह पाया गया कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर नया निर्माण कार्य प्रारम्भ किये हैं। वाद प्रतिवादीगण पर कारण पृच्छा, समन तथा रजिस्टर्ड समन की कार्यवाही की जा चुकी थी, परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए थे। अतः यह आवेदन एकपक्षीय सुनकर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति एवं उभय पक्षों के सुनवाई तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 22.01.2025 को प्रतिवादी सं0-01 और 02 उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा एक आवेदन धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा वादी के निषेधाज्ञा आवेदन 25.</p>	

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 22.03.2025	<p>10.2024 का प्रतिउत्तर दाखिल कर यह निवेदन किया गया कि खेसरा-94, 146 एवं 147 पर मकान एवं दुकान पूर्व से अवस्थित है। अतः यथास्थिति का आदेश वापस लेकर इसकी सूचना संबंधित थाना को भेजने की कृपा करें।</p> <p>तत्पश्चात् वादी द्वारा अपना पूर्व का आवेदन दिनांक 25.10.2024 अंदर आदेश 26 नियम-09 परिचालित किया गया जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2025 को एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा उन्हें वादग्रस्त भूमि के वस्तुस्थिति के संबंध में फोटोग्राफ सहित अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता आयुक्त द्वारा जांच कर अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं उसके उपरांत वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-01 और 02 को निषेधाज्ञा आवेदन पर सुना गया।</p> <p>अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक फोटोग्राफ खाता-28 खेसरा-167 के संबंध में दायर किया गया था, जिसके अवलोकनार्थ न्यायालय द्वारा केवल वादीगण का पक्ष सुनकर यह आदेश पारित किया गया था कि प्रतिवादीगण की उपस्थिति तथा आवेदन के सुनवाई तक उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर Status Quo बनाए रखेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया था। न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि वादपत्र के मद सं0-02 की भूमि में सिर्फ खाता-28 खेसरा-167 वाली भूमि पर नया निर्माण करवाया जा रहा है तथा अन्य तीन भूमि खाता-28 खेसरा-147, खाता-4 खेसरा-94 तथा खाता-28 खेसरा-147 पर पूर्व से निर्मित मकान एवं दुकान है, जिसका मूल संरचना पूर्व से ही तैयार है, जिसमें प्रतिवादीगण निवास भी करते हैं तथा कुछ दुकान हैं एवं दुकानदार को किराया पर दिया गया है।</p>	
------------------------------	--	--

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 22.03.2025</p>	<p>अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि सिर्फ खाता-28 खेसरा-167 में नया निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ था, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा भी मौखिक रूप से स्वीकार्य किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा यह भी कहा गया है कि वह खाता-28 खेसरा-167 पर निर्माण कार्य बंद करवा चुके है। प्रतिवादीगण का यह भी कहना है कि खाता-28 खेसरा-167 के अलावा अन्य तीन भूमि पर अवस्थित भूमि पर मकान एवं दुकान का निर्माण पूर्व में ही हो चुका है तथा यह भी बताया गया है कि मकान के सेंकेंड फ्लोर की ढलाई की जानी है तथा मकान के कुछ भाग पर प्लास्टर का काम चल रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी बताया गया कि वादग्रस्त भूमि पर सभी दुकानें पूर्व से ही निर्मित है, जो मालिक द्वारा दुकानदारों को किराये पर दुकान चलाने के लिए दिया गया है।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि न्यायालय द्वारा सिर्फ खाता-28 खेसरा-167 के संबंध में Status Quo का आदेश दिया गया था, क्योंकि वादीगण द्वारा अन्य खाता, खेसरा की भूमि के संबंध में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया गया था तथा जब प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया, फोटोग्राफ दायर किये गए तथा अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तो अन्य खाता, खेसरा पर मकान एवं दुकान के अवस्थित होने के बारे में न्यायालय को ज्ञात हुआ। चूंकि, अन्य खाता, खेसरा पर अवस्थित दुकान एवं मकान पूर्व से ही निर्मित है और वादी द्वारा भी इस संबंध में पूर्व में न ही न्यायालय में कोई केस दायर किया गया है न ही थाना अथवा अन्य प्राधिकार के समक्ष निर्माण कार्य रोकने लिए कोई आवेदन दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन सब खाता, खेसरा की भूमि पर नया निर्माण करने से</p>	
-------------------------------------	---	--

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0-43/2023

विजय प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण
बनाम

नितेश कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 22.03.2025</p>	<p>उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।</p> <p>अतः न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.01.2025 में से खाता खाता-28 खेसरा-147, खाता-4 खेसरा-94 तथा खाता-28 खेसरा-146 की विवादग्रस्त भूमि को रिक्त किया जाता है। परन्तु खाता-28 खेसरा-167 की वादग्रस्त भूमि पर अगले आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित थाना को भेजे।</p> <p>आगामी दिनांक 28.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p style="text-align: center;">अवर न्यायाधीश नरकटियागंज</p>	
-------------------------------------	---	--